

HOW TO GET A U.S. VISA

कैसे पाएं अमेरिकी वीजा

इस बार जानें अमेरिका जाने के लिए बी1-बी2 वीजा और वीजा आवेदन से लेकर इंटरव्यू तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया के बारे में...



अमेरिका में स्थित डिज्नी वर्ल्ड, लास वेगास, नियाग्रा फाल्स, टाइम्स स्क्वायर बहुत से पर्यटकों के पसंदीदा स्थानों में एक हैं। 2011 में भारत से 6,60,000 से अधिक लोग अमेरिका गए, जो एक रिकॉर्ड है। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास नियमित रूप से बहु-प्रवेशीय पर्यटक और बिजनेस वीजा जारी करता है। दूतावास या कांसुलेट्स में एक कार्यदिवस में एक घंटे से भी कम समय में इन आवेदनों में 97 प्रतिशत पर प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। एक नया 'इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम' भी बनाया गया है। यह वीजा नवीनीकरण कराने वाले कुछ योग्य आवेदकों को इंटरव्यू से छूट प्रदान करता है। इस बारे में अधिक जानकारी दूतावास की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

कैसे-कैसे वीजा : अमेरिका जाने के लिए नॉन-इमीग्रेंट वीजा की जरूरत होती है। वीजा की कई श्रेणियां होती हैं। आपको अपनी यात्रा के उद्देश्य के अनुरूप वीजा श्रेणी के लिए आवेदन करना चाहिए। अमेरिका जाने वाले अधिसंख्य विजिटर बिजनेस (बी1) या पर्यटन (बी2) वीजा पर जाते हैं। बी1/बी2 वीजा की ये दो श्रेणियां आमतौर पर साथ-साथ जारी की जाती हैं।

बी1/बी2 वीजा की प्रक्रिया : बी1/बी2 वीजा के लिए आवेदन करने के लिए पहले कदम के रूप में यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास वैध पासपोर्ट और नया फोटोग्राफ है। इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा, जो कि हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन-पत्र के अंत में दिया गया बारकोड आपको प्रिंट

करना होगा। इस बारकोड का उपयोग स्वीकृत एचडीएफसी बैंक में वीजा आवेदन फीस (बी1/बी2 वीजा के लिए 160 डॉलर) के भुगतान हेतु करें। बारकोड और फीस की रसीद मिल जाने पर आप हमारे सेवा प्रदाता (वीएफएस) के माध्यम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।

न दें झूठी जानकारी : वेबसाइट पर वीजा आवेदन की जानकारी सभी के लिए उपलब्ध है। इसके बावजूद कुछ लोग वीजा प्रक्रिया में सहायता के लिए सलाहकारों के पास चले जाते हैं। हालांकि कुछ सलाहकार उपयोगी जानकारी देते हैं, लेकिन बहुत उन्हें गुमराह भी करते हैं। ध्यान रखें कि आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। जान-बूझकर झूठी जानकारी देना आपको अमेरिकी वीजा पाने में हमेशा के लिए अपात्र बना सकता है।

इंटरव्यू है सबसे खास : वीजा के इंटरव्यू के दिन वैध पासपोर्ट और पहले जारी किए गए पासपोर्ट, नया व्हाइट बैकग्राउंड वाला फोटो, आपका आवेदन-पत्र एवं बारकोड तथा एचडीएफसी की वीजा आवेदन फीस की रसीद साथ लेकर आना होता है। अन्य सहायक दस्तावेजों के लिए वेबसाइट देखी जा सकती है। यह भी ध्यान रखें कि सिर्फ दस्तावेजों के आधार पर वीजा देने या न देने का निर्णय नहीं लिया जाता। हमारी प्रक्रिया इंटरव्यू पर आधारित है, इसलिए यात्री को अपनी यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझाना महत्वपूर्ण है।

हिन्दी में दे सकते हैं इंटरव्यू : कुछ लोग वीजा इंटरव्यू के दिन अपने रिश्तेदारों या मित्रों को अमेरिकी दूतावास या कांसुलेट में लेकर आते हैं। लेकिन जगह की कमी के कारण हम आवेदक के अलावा वीजा इंटरव्यू के लिए किसी को भी अनुमति नहीं देते।

निश्चित रहें, हमारे वीजा अधिकारी हिन्दी और भारत की दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में बोल सकते हैं। फिर भी बातचीत में कहीं कोई समस्या आती है, तो अनुवादक भी उपलब्ध होते हैं।

आश्चर्य करें अधिकारी को : वीजा इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी अधिकारी आपकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में और अपनी यात्रा का खर्च कैसे वहन करेंगे इसके बारे में प्रश्न पूछेंगे। भारत में आपके संबंधों को प्रमाणित करने वाले कुछ व्यक्तिगत प्रश्नों के अलावा आपके रोजगार और परिवार के बारे में भी पूछा जाता है। बी1/बी2 वीजा प्राप्त करने के लिए आवेदक को वीजा अधिकारी को आश्चर्य करना होगा कि उसका अमेरिका में बसने का इरादा नहीं है।

कभी-कभी कुछ आवेदकों को वीजा नहीं मिल पाता। आमतौर पर ऐसा तब होता है, जब अधिकारी आवेदक के भारत में रिश्तों के बारे में पूरी तरह आश्चर्य नहीं हो पाते। इस कमी को दूर करने के बाद दोबारा आवेदन किया जा सकता है।

पहले न प्लान करें यात्रा : यदि आप अमेरिका की यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, तो बेहतर होगा कि पहले से आवेदन करें। आमतौर पर वीजा एक सप्ताह या उससे भी कम समय में दे दिए जाते हैं। लेकिन जब तक वीजा न मिल जाए यात्रा की व्यवस्था करना समझदारी नहीं है।

वीजा संबंधी प्रश्नों के उत्तर हमारी वेबसाइट या अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की यात्रा वेबसाइट: [http:// www.travel .state.gov](http://www.travel.state.gov) पर प्राप्त कर सकते हैं। इस पर दी गई जानकारी पूरी तरह सही और निःशुल्क है। इस बारे में वीएफएस को infous delhi@vfs helpline.com पर ईमेल भी कर सकते हैं।

जिम हरमैन

(लेखक नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में मिनिस्टर-कार्डसिलर फॉर कांसुलर अफेयर्स हैं)

